NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उड़ामाण्ड़ा–रौता से मालकोटी–सेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 31.00 (है० 6–8) से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है, जो ग्राम मालकोटी–सेरा को जोड़ता है। मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उड़ामाण्ड़ा–रौता से मालकोटी–सेरा मोटर मार्ग के कि०मी० 31.00 (है० 6–8) से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति है तथा भूगर्भवेत्ता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 6 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 51 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उड़ामाण्ड़ा–रौता से मालकोटी–सेरा मोटर मार्ग के कि०मी० 31.00 (है० 6–8) से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। इस समरेखण में अधिक कृषि योग्य भूमि के नष्ट होने एवं पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता भी सहमत नहीं हैं एवं भू–गर्भवेत्ता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड की सं० 6 है तथा अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न०–1 उपयुक्त है।

सहायक अभियन्ता नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी	प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।	अधिशासी अभियन्ता नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी